न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 02/2017

दायर दिनांकः 13.01.2017

निर्णय दिनांक 19.08.2019

—:अनवानः—

श्री नारायणलाल पिता हीरालाल रेगर निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनामः—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द
2. श्री मदनलाल पिता गणेशलाल रेगर निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द
3. लक्ष्मीदेवी पिता गणेशलाल रेगर निवासी राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1567 स्वीकृत दिनांक 19.05.2016 द्वारा तहसीलदार, राजसमन्द राजस्व ग्राम किशोर नगर पटवार हल्का राजनगर से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थित वक्त बहसः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

3— श्री धनेन्द्र मेहता अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03

—::निर्णयः:—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा राजस्व ग्राम किशोरनगर, पटवार हल्का राजनगर, तहसील राजसमन्द में आराजी संख्या 360 रकबा 01.11 बीघा भूमि स्थित है। अपीलांट हीरालाल का पुत्र है तथा हीरालाल की मृत्यु के उपरान्त अपीलांट को विधिक वारिसान उत्तराधिकारी बताये बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के पक्ष मे नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 का उक्त वादग्रस्त भूमि मे कोई हक अधिकार नहीं है। इस तथ्य की जानकारी स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को है कि हिरालाल पिता किशना जी रेगर द्वारा वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति होकर उनके द्वारा उक्त सम्पत्ति को जरिये वसीयत दिनांक 26.06.1991 को जो कि हीरालाल ने अपने जीवनकाल मे अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित की गयी थी। उस वसीयत के आधार पर हीरालाल की सारी सम्पत्ति अपीलांट को प्राप्त हो चुकी है और अपीलांट ने हित निहित हो चुके है फिर भी झूठा शपथपत्र पेश कर मिथ्या साक्ष्य के आधार पर नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 के पक्ष मे फैसल किया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल

होने की कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील को अवधि में शुमार करवाया जाने का आदेश फरमाया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 की ओर से दिनांक 24.04.2018 को उक्त अपील में प्रत्यापत्ति इस आशय की पेश की गई थी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रकरण 2/2008 दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया आदेश विधि के विपरित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 ही विधिक वारिस है। नामान्तरण संख्या 141 की अपील संख्या 2/2001 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 20.04.2002 को नामान्तरण खारिज करते हुए तहसीलदार राजसमन्द के यहां पर प्रतिप्रेषित कि गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तहसीलदार ने कोई कार्यवाही नहीं कर मामले को यूहीं लम्बित रखा। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 को सूने बगेर ही निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलार्थी ने दत्तक पूत्र होने एवं वसीयत के आधार पर जो आदेश पारित करवाया है वह शुन्य है। वसीयत प्रमाणित भी नहीं हुई है। हीरालाल जी की पुत्री रकमा बाई की सन्तानें रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 है। इसलिये रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के नाम पर स्वीकृत किया गया नामान्तरण सही है। गोद पुत्र व वसीयत के संबंध में दीवानी न्यायालय ही निर्णय पारित कर सकता है। इस कारण से प्रकरण संख्या 02/2008 दिनांक 30.06.2017 में परित आदेश निरस्त योग्य है। दिनांक 30.10.2017 को तहसील से नकल प्राप्त होने पर इसकी जानकारी होते ही धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर यह याचिका पेश है। अतः प्रार्थना है की अपीलांट की अपील अस्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश प्रकरण संख्या 2/2008 दिनांक 30.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें। तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के नाम पर भुमि नामान्तरण फरमाई जावें।

अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए निवेदन किया की मृतक हीरालाल जी के विरासत का नामान्तरण तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत करने में त्रुटि कारित की है। उक्त नामान्तरण की कार्यवाही में हीरालाल के विरासत मय उत्तराधिकारी की कोई जांच नहीं की है। हीरालाल के कौन विधिक वारिसान उत्तराधिकारी है। इस संबंध में कोई भी दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय एवं राजस्व अधिकारियों ने प्राप्त नहीं किये है। विरासत की कोई जांच ही नहीं कि गई है। रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को किस आधार पर हीरालाल का वारिस माना है, इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर हीरालाल का वारिस नहीं माना जा सकता। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 2/2008 नारायणलाल बनाम मदनलाल में हीरालाल के विधिक वारिस दत्तक पुत्र एवं वसीयत के आधार पर राजस्व ग्राम अमलोई की भूमि अपीलार्थी के नाम पर दर्ज करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश हीरालाल की मृत्यु के बाद गलत रूप से स्वीकृत नामान्तरण संख्या 141 दिनांक 06.06.2000 को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के निर्णय दिनांक 20.04.2004 की पालना में अपीलार्थी को गोद पुत्र एवं वसीयत को प्रमाणित मानते हुए नामान्तरण अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जो ना केवल विधि विरूद्ध है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित

है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त मामले में विरासत की जांच के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। हीरालाल का पारिवारिक सजरा प्रमाणित नहीं करवाया है। इस संबंध में संबंधित जन प्रतिनिधि वार्ड पंच/सरपंच की तस्दीक प्राप्त नहीं की गई है ना ही मोतबिरान से विरासत की जांच की गई है। प्रकरण संख्या 2/2008 में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 पक्षकार होते हुए भी उक्त प्रकरण के तथ्यों को छुपाकर अपने अकेले के नाम पर नामान्तरण स्वीकृत करवाया है। उक्त प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ओर 3 के पूर्वाधिकारी रूकमणी बाई ने हीरालाल की संपत्ति के संबंध में अपीलार्थी के पक्ष में लिखित में अनापत्ति प्रस्तुत करते हुए नामान्तरण वसीयत के आधार पर खोलने की सहमति दी थी। उस सहमति से रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ओर 3 भी पाबंद व प्रतिबंधित है। क्योंकि रेंस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को रूकमणी देवी से ही हक अधिकार प्राप्त होते है। और स्वयं रूकमणी देवी ने अपने जीवन काल में ही हीरालाल की संपंत्ति के संबंध में अपीलार्थी के हक में नामान्तरण खोलने की सहमति प्रदान कर दी है तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 का कोई हक अधिकारी नहीं रहता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 में जो प्रत्यापत्ति पेश की है वह कानुनन चलने योग्य नहीं है। प्रकरण संख्या 2/2008 में दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया आदेश इस मामले में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील माननीय न्यायालय में पेश नहीं कि गई है। जब कोई अपील ही न्यायालय में आदेश दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध विचाराधीन नहीं है तो प्रत्यापत्ति कानुनन चलने योग्य नहीं है। तथा प्रस्तुत प्रत्यापत्ति मयाद में भी नहीं है। यहा तक की मयाद माफ करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र भी इसके साथ पेश नहीं किया गया है। केवल पेश करने का उल्लेख किया गया है। अन्त में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरण को निरस्त करने तथा अपीलार्थी हीरालाल का विधिक वारिस एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया है की तहसीलदार राजसमन्द द्वारा स्वीकृत किया गया नामाकंन विधि अनुसार सही है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने निवेदन किया है की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया नामान्तरण सही है। हीरालाल की पुत्री रूकमणी देवी के पुत्र व पुत्री रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 है। इसलिये विरासत का नामान्तरण सही खोला गया है। अपीलार्थी वसीयत के आधार पर कोई हक अधिकार क्लेम करता है तो उसके लिये वाद करना था। अपीलार्थी गोद पुत्र नहीं है। उक्त संपत्ति पैतृक है जिसके संबंध में वसीयत नहीं कि जा सकती। वसीयतनामा अपीलार्थी ने प्रमाणित नहीं करवाया है। गोदनामा भी प्रमाणित नहीं करवाया है। नामान्तरण की कार्यवाही सक्षिप्त कार्यवाही है। इसलिये नियमित वाद करना चाहिये था। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावें। तहसीलदार द्वारा प्रकरण संख्या 2/2008 में दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया आदेश रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को बिना सुने पारित किया है। इसलिये उक्त आदेश को भी निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के बहस पर मनन विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उक्त नामान्तरण मृतक हिरालाल की भूमि के संबंध में तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा दिनांक 19.05.2016 को विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 को वारिस मानते हुए नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। हस्तगत प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख से यह प्रमाणित है कि मृतक हिरालाल ने अपने जीवनकाल मे अपनी चल अचल सम्पति के संबंध में वसीयतनामा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया गया और अपीलार्थी द्वारा मृतक की अन्य सम्पति जो कि राजस्व ग्राम

कतहनगर मे स्थित है, के संबंध में विरासत से खुला गया नामान्तरण को उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द के यहां पर अपील पेश कर चुनौति दी गयी थी जिसे उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा अपील स्वीकार करते हुए विरासत के नामान्तरण को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, राजसमन्द के यहां पर आदेश दिनांक 20.04.2002 को रिमाण्ड किया गया है। जिसकी पत्रावली तहसीलदार, राजसमन्द के यहां पर कायम की जाकर प्रकरण संख्या 02/2008 में मृतक हिरालाल की वसीयत को प्रमाणित पाये जाने से अपीलार्थी के पक्ष में हिरालाल की भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया है। उक्त भूमि के संबधं में विरासत का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। जबकि हिरालाल की भूमि के संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार, राजसमन्द के यहा पर प्रकरण 09 वर्ष तक विचाराधीन रहा था जिसमे स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 पक्षकार रहे है। उन्हे इस प्रकरण की विचाराधीन होने की जानकारी होते हुए भी मृतक हिरालाल की विरासत का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने अपने पक्ष में स्वीकृत करवाया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने हिरालाल की वसीयत होते हुए भी अपीलार्थी को उक्त नामान्तरण की कार्यवाही मे पक्षकार बनाये बगैर नामान्तरण स्वीकृत करवाया है जो विधि के विपरित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 03 ने तहसीलदार, राजसमन्द के समक्ष वसीयत के तथ्य को छुपाकर उक्त समस्त कार्यवाही करवायी गयी थी ऐसी स्थिति मे आलौच्य नामान्तरण अपीलार्थी को सुने बगैर स्वीकृत किया गया है जो न केवल विधि के विपरित है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के भी विपरित है। ऐसी स्थिति में हम उक्त अपील को स्वीकार कर न्यायोचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1567 दिनांक 19.05.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, राजसमन्द को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द